

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पूर्वी क्षेत्र पारेषण प्रणाली-1, मुख्यालय,
बिहार राज्य ईलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कोलोनी,
टी. आर. डब्लू भवन के नजदीक, पोस्ट+थाना - शास्तीनगर
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, पटना- 800023

संदर्भ: पावरग्रिड/पू.क्षे.-1 क्षे.मु./आर.टी.आई-319/2022-23/813

दिनांक: 14.09.2022

श्री अंजनी प्रसाद सिंह

ग्राम: सिकिरिया, पोस्ट: मकसुदपुर

भाया: टेकारी, जिला: गया


बिहार-824236

विषय: पावरग्रिड, पूर्वी क्षेत्र -1 से संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत माँगी गयी जानकारी के संबंध में ।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना प्राप्ति हेतु आपके द्वारा ऑन लाईन माध्यम से जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 PGCIL/R/2022/M-27 दिनांक 17.08.2022 के द्वारा आवेदन प्रेषित किया गया था। जिसकी मूल प्रति आर. टी. आई. विभाग, पटना पू.क्षे.-1 मुख्यालय को 29.08.2022 को प्राप्त हुआ था। वांछित सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन की मूल प्रति संबंधित विभाग को दिनांक 30.08.2022 को प्रेषित किया गया था। संबंधित विभाग द्वारा वांछित सूचना दिनांक को 13.09.2022 उपलब्ध करायी है, जो निम्नलिखित हैं।

माँगी गयी सूचना	सूचना की जानकारी
1. पावरग्रिड परिसर एवं कन्ट्रोल रूम कार्यालय में नियुक्त सुरक्षा गार्ड एवं आर्म्स गार्ड की नियुक्ती (D.G.R.) सैनिक पुर्नवास निदेशालय नई दिल्ली के गाइड लाईस के तहत होता हैं। जो पुरे भारतवर्ष मे लागु है। रक्षा मंत्रालय (D.G.R.) के तहत उम्र (60) वर्ष निर्धारित है लेकिन बिहार में सुरक्षा एजेंसी के द्वारा अवैध रकम लेकर पूर्व सैनिकों को (60) साठ वर्ष के उपर वाले को पावरग्रिड मे तैनात किया गया हैं। आखिर क्यो इसकी सूचना दिया जाय, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत। जबकि निर्धारित उम्र सीमा साठ वर्ष तक हैं।	पावरग्रिड में सुरक्षाकर्मियों को डीजीआर द्वारा प्रस्तावित एजेंसी के माध्यम से रखा जाता है। भ्रष्टाचार से संबंधित किसी भी तरह का दस्तावेज इस कार्यालय में नहीं पाया गया हैं।
क. सुरक्षा प्रहरी डंडामैन, आर्म्स गार्ड में कामगिरी वाले को सुरक्षा के कारण उन्हें नहीं लेना है। उन्हें सैनिक सेवा पेन्शन के अलावा अलग से कायगिरी का कुछ भाग चिकित्सा भत्ता का पेंशन अलग से मिलता है, फिर भी पावरग्रिड बिहार में कामगिरी वाले तैनात हैं। इसकी वजह का सूचना दिया जाए जो नियम है।	आवश्यकतानुसार डीजीआर द्वारा निर्धारित श्रेणियों में ही सुरक्षाकर्मियों को रखा जाता हैं।
ख. पूर्व सैनिक 45 वर्ष के निचे वालों को सुरक्षा एजेंसी नहीं नियुक्त कर ज्यादा उम्र वाले को सुरक्षा एजेंसी के फिल्ड अफसर सुपरवाइजर रिश्त लेंकर नियुक्ती कर रखते है इस भ्रष्टाचार को	सुरक्षाकर्मियों का नियुक्ति डीजीआर द्वारा सम्बध एजेंसी के माध्यम से किया जाता है। रिश्त लेने का कोई




रोकने के लिए पावरग्रिड कार्पोरेशन मे नियम है इसकी सूचना दिया जाय।	मामला इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।
ग. एक तरफ माँगी गई सूचना एक तरफ प्रदत्त की सूचना का जवाब दिया जाय।	इसी अनुसार जवाब दिया गया है।
घ. सूचना हिंदी में दिया जाय।	जवाब हिंदी भाषा में उपरोक्त कथनों में दिया गया है।
ङ. प्रथम अपीलीय प्राधिकार का डाक पता दुरभाष का सूचना दिया जाए जो नियम हैं।	पता निचे दी गई है।

First Appellate Authority Address:

Executive Director, Eastern Region-I
Power Grid Corporation of India Ltd
BSEB Board Colony, Near TRW Centre
At+P.O: Shastri Nagar, Patna-800023(Bihar)

सधन्यवाद ।

भवदीय

(एम. क्यू. हुदा)
मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य) सह
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकार